प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 09.08.2025**

थाना रूरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 01 नफर अभियुक्त को आलाकत्ल 01 अदद लोहे की रॉड के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.03.2025 को वादिनी रामा देवी पुत्री श्री सीताराम निवासिनी ग्राम उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि लोथा पुत्र रामसेवक यादव द्वारा वादिनी के भाई सुभाष को ट्यूबवेल बोर कराने की बात कहकर घर से बुला ले जाना, वादिनी के भाई द्वारा बोर करने के लिए एडवान्स मांगना, तब एडवान्स देने से इनकार करते हुए जाति सूचना शब्दों का प्रयोग करना व वादिनी के भाई को 1.लोथा पुत्र राम सेवक यादव 2.करन सिंह पुत्र मिश्रीलाल 3.शिव सिंह पुत्र मिश्रीलाल 4.अमित कुमार उर्फ छउआ पुत्र काशी प्रसाद यादव 5.बउआ पुत्र लक्ष्मी नारायण यादव 6.हिमांशु पुत्र पप्पू उर्फ शिव सिंह यादव 7.ओम जी पुत्र सूरज सिंह 8. बबिता पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से लोहे की राड से जान लेवा हमला करना, वादिनी द्वारा कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना तथा दौराने इलाज वादिनी के भाई सुभाष की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 65/2025 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/352/351(2)/351(3)/61(2) बीएनएस व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात बनाम अभियुक्त करन सिंह आदि 08 नफर पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 09.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर डेरापुर रोड उलरापुर बम्बा पुलिया से करीब 20 मीटर की दूरी पर डेरापुर रोड पर उलरापुर नहर पुलिया से डेरापुर की तरफ से अभियुक्त करन सिंह पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी ग्राम उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त 01 अदद रॉड अभियुक्त की निशानदेही उसके घर के बाहर टीनशेड की नीचे रखी गेहूं रखने वाली टंकी से बरामद की गयी। अभियुक्त लोथा, शिव सिंह, बउआ, हिमांशु, बबिता जिला कारागार में निरुद्ध हैं तथा शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

करन सिंह पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी ग्राम उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 55 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त करन सिंह उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं खेती किसानी का काम करता हूं। मेरे 02 लड़के, 01 लड़की है। करीब 01 वर्ष पहले मेरे बड़े लड़के अनुज कुमार की गाँव के सुभाष के परिवार वालों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। मैंने अपने बेटे की हत्या के सम्बन्ध में थाना रुरा पर मुकदमा लिखाया था। उसी मुकदमे को लेकर समझौते के लिये सुभाष बार-बार कह रहा था। मैंने समझौता करने से मना किया तो वह बोला कि समझौता नहीं करोगे तो जैसे तुमने एक लड़के को खो दिया है, वैसे ही दूसरे लड़के को भी खो दोगे।

मैं व मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। प्रतिदिन सुभाष शराब पीकर मेरे दरवाजे से निकलते समय गाली-गलौज करता और मुकदमें में समझौते के लिये कहता। हम लोग सुनते-सुनते परेशान हो गये तो मेरे परिवार के राधाकृष्ण उर्फ बउआ ने कहा कि इस चमार साले के ज्यादा दिमाग खराब हो गये है, इसको किसी दिन अच्छे से कूट दो। दिनांक 07.03.2025 को शाम करीब 07.00-7.30 बजे की बात है, सुभाष पुत्र सीताराम शराब पीकर मेरे घर के सामने रोड पर आकर गाली-गलौज करते हुये फिर वही बात बोला कि मुकदमे को लेकर समझौते कर नहीं तो दूसरे बेटे को भी खो दोगे, तो गुस्से में आकर मेरे घर के दरवाजे पर रखी लोहे की रॉड लेकर सुभाष के साथ मारपीट कर दिया तभी मेरी पत्नी बबिता, मेरा भाई शिवसिंह व उसका लड़का हिमांशु तथा लोथा आये और सुभाष के साथ मारपीट कर दिये। मारपीट में सुभाष को काफी चोटें आयीं थी और वहीं पर गिर पड़ा था। तब तक पुलिस आ गयी तो मैं लोहे की रॉड को अपने घर के बाहर टीनशेड की नीचे रखी गेहूं रखने वाली टंकी में रख कर ट्यूबेल पर भाग गया था।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस